दिनांक 10.10.2025
मिशन शक्ति प्रेस विज्ञप्ति 07 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सुरक्षित महिला, सशक्त प्रदेशः मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत परिक्षेत्र वाराणसी के जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विगत 15 दिवस में महिला सम्बन्धी अपराधों के 09 अभियोगो में 10 अभियुक्तों को सजा दिलाई गयी

मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधियों में अभियुक्तों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्णा** के द्वारा प्रदेश भर में **मिशन शक्ति 5.0** अभियान के अंतर्गत बच्चियों/बालिकाओं के विरूद्ध अपराधों में संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, गुमशुदा/भटके हुये बच्चों/बालिकाओं/महिलाओं की बरामदगी एवं आपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी पैरवी करते हुये शीघ्रातिशीघ्र कठोर सजा दिलाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जिसके अनुपालन में मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत परिक्षेत्र वाराणसी के जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में विशेष अभियान चला कर दिनांक 22.09.2025 से 07.10.2025 तक दहेज हत्या/हत्या, यौन उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट आदि महिला सम्बन्धित अपराधों में विगत 15 दिवस में 09 अभियोगो में 10 अभियुक्तों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी, जिसका थानावार विवरण निम्नवत है।

- **थाना पवारा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-525/2016 धारा-363, 366, 376 भादवि व 4 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त गुलाब बिन्द पुत्र तीर्थराज बिन्द निवासी मड़वा दोदक थाना पवारा जौनपुर को आरोपित धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध करते हुये कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0-25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
- **थाना मीरगंज** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-431/2016 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अभियुक्तगण 1. इन्द्रेश कुमार दूबे पुत्र स्व० ओम प्रकाश दूबे 2. निर्मला देवी पत्नी स्व० ओम प्रकाश दूबे नि० रामगढ़ थाना मीरगंज, जौनपुर को प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास व मु0-12000-12000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
- **थाना खेतासराय** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1314/17 धारा-363, 366, 376(1), 504, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो ऐक्ट के आरोपी 1. दिलशेर अंसारी पुत्र छोटई निवासी सोंगर थाना खेतासराय, जौनपुर को आरोपित धारा उपरोक्त में 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 27,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **थाना गौराबादशाहपुर** पर पंजीकृत मु०अ0सं0-8/19 धारा-376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट जनपद जौनपुर से संबन्धित 01 किशोर अपचारी पुत्र धरमू निवासी आरा थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर, को दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 25,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
- **थाना मड़ियाहूँ** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-94/22 धारा-302 भादवि जनपद जौनपुर से संबन्धित 01 अभियुक्त इस्लाम पुत्र समीउल्लाह निवासी भण्डरिया टोला थाना मड़ियाहू, जौनपुर, को दोषसिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व मु0-20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
- **थाना कोतवाली** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-2827/17 धारा-363, 366, 506 भादवि जनपद जौनपुर से संबन्धित प्रदीप सरोज पुत्र सुनील सरोज निवासी परमानतपुर थाना कोतवाली, जौनपुर, को दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व मु० 16,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
- **थाना बदलापुर** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-308/23 धारा 376, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट जनपद जौनपुर से संबन्धित अभियुक्त 1. अनुराग यादव पुत्र रामसजीवन यादव नि० परियाही (सीड) थाना बदलापुर, जौनपुर, को आजीवन कठोर कारावास एवं मु० 22,000 रु० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
- **थाना गौराबादशाहपुर** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-32/22 धारा 376 एबी, 323, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट जनपद जौनपुर से संबन्धित 01 अभियुक्त- पिन्टू गौतम पुत्र स्व० रामसमुझ नि० धरमसारी थाना गौराबादशाहपुर, जौनपुर, को आजीवन कारावास एवं मु0 22,000 रु० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
- **थाना जफराबाद** पर पंजीकृत मु0अ0सं0-100/19 धारा 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट जनपद जौनपुर से संबन्धित 01 अभियुक्त- बखेडू निषाद पुत्र मेवालाल निषाद निवासी जमैथा शिवपुर थाना जफराबाद, जौनपुर, को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं मु0 25,000 रु० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

दिनांक 10.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 14/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0: अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 176 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 10–10–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 176 किलोग्राम गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 44 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1–बदरुद्दीन पुत्र सैयदुद्दीन निवासी ग्राम ज्ञानीपुर, थाना शिवगढ़ जनपद सुलतानपुर ।

2–मिथिलेश यादव पुत्र हरिश्चंद्र यादव निवासी ग्राम आशापार थाना खजनी जिला गोरखपुर।

बरामदगीः–

1– 176 कि0ग्रा0 गांजा अवैध। (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 44 लाख रूपये)।

2– 02 अदद मोबाइल फोन।

3– 2220 रुपए नगद।

4– 01 अदद स्वराज डीसीएम नम्बर यू0पी0 44AT9048

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–

गुहानी बारा रोड, थाना गेट थाना बारा, प्रयागराज दिनांक 10–10–2025 समय 01.00 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में नि0 राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उप नि0 अतुल चतुर्वेदी, उप नि0 प्रदीप सिंह, उप नि0 अरशद खान, मुख्य आरक्षी नीरज पाण्डेय, मुख्य आरक्षी राम निवास शुक्ला, मु0आ0 राजीव कुमार, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव व मुख्य आ0 चालक सुरेश सिंह एसटीएफ मुख्यालय की टीम द्वारा प्रयागराज में भ्रमणशील थी, इस दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 लोग डीसीएम गाड़ी से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लेकर आने वाले है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर गुहानी बारा रोड, थाना गेट थाना बारा, प्रयागराज से 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि इनका एक संगठित गिरोह है, जो अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का गांजा ई पाया जाता है, जिसे गैंग सरगना राकेश यादव द्वारा मंगाया जाता है। वहां से कम दामों पर गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। यह लोग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के रास्ते गांजा की खेप लेकर उत्तर प्रदेश में आते है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बारा, प्रयागराज 110/2025 धारा 8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः करीब 17 साल से पुलिस कस्टडी से फरार रूपये 50,000/- का पुरस्कार घोषित एवं थाना रूड़की, जनपद हरिद्वार का गैगेस्टर अपराधी हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण गिरफ्तार।

दिनांकः 09-10-2025 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को करीब 17 साल से पुलिस कस्टडी से फरार एवं जनपद गंगनहर जनपद-हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/08 धारा 223/224 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 50,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण पुत्र रघुवीर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना बागपत।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 09–10–2025 समय 18.50 बजे, कलाम चौक थाना गंगनहर, जनपद–हरिद्वार उत्तराखण्ड।

उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर एवं अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के बाद दिनांक 09–10–2025 को एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा हरि सिंह उर्फ हरीष उर्फ भारत भूषण को पूछताछ हेतु डेरा बस्ती पंजाब से कलाम चौक रूडकी हरिद्वार लाया गया, जहॉ पर एस0टी0एफ0 नोएडा एवं एस0टी0एफ0 देहरादून तथा गंगनहर रूडकी पुलिस द्वारा अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण से पूछताछ की गयी और सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण को समय लगभग 18.50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 56 साल है तथा कक्षा 08 पास है। बताया कि उसने करीब बीस साल तक जनपद मेरठ के भोपाल हॉस्पिटल में सफाई करने का काम किया था। उसके बाद वह रूडकी बस अडडे के पास एक होटल में काम करने चला गया था। इसी होटल में काम करने के दौरान अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण ने वर्ष–2007 में अपने साथियों के साथ मिलकर थाना रूडकी क्षेत्र में चोरी की कई

घटनाओं को अंजाम दिया था जिसमें वह जेल गया था। पुलिस कर्मियों की देखरेख में अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण द्वारा रूडकी की जेल में साफ–सफाई का कार्य किया जा रहा था परन्तु उसी समय यह मौका पाकर वहॉ से फरार हो गया था जिसके सम्बन्ध में थाना गंगनहर हरिद्वार पर मु0अ0सं0 52/08 धारा 223/224 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी अभियोग में अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण वांछित चल रहा था जिसके गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा रूपये 50,000/– का पुरकार घोषित किया गया था। अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीष उर्फ भारत भूषण की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। जानकारी में आया है कि अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीष उर्फ भारत भूषण फरारी के दौरान पंजाब गया था जहॉ वह डेरा बस्ती में किराये का मकान लेकर छद्‌म नाम भारत भूषण के नाम से रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीश उर्फ भारत भूषण के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	324/07	454/380/411 भादवि	कोतवाली रूडकी	हरिद्वार
2	374/07	457/380/411 भादवि	कोतवाली रूडकी	हरिद्वार
3	389/07	398/401 भादवि	कोतवाली रूडकी	हरिद्वार
4	390/07	25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली रूडकी	हरिद्वार
5	03/08	2/3 गैगस्टर एक्ट	कोतवाली रूडकी	हरिद्वार
6	52/08	223/224 भादवि	गंगनहर	हरिद्वार

गिरफ्तार अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरीष उर्फ भारत भूषण, उपरोक्त को थाना गंगनहर, रूडकी जनपद हरिद्वार के मु0अ0सं0 52/08 धारा 223/224 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी पीली धातु का आभूषण**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 09.10.2025 को थाना बहजोई, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंवासा से आटा रोड पर सिहोरी की पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अर्जुन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी पीली धातु का आभूषण, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बहजोई पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्जुन निवासी मोहल्ला जाटोवाला चौराह चौधरी सराया थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–लूटी गयी पीली धातु का आभूषण।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना मण्डुआडीह

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 135 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब

• नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन

• 01 ट्रक आदि बरामद

दिनांक 09.10.2025 को थाना मण्डुआडीह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इंडस्ट्रियल स्टेट चांदपुर के पास से 03 अभियुक्तों 1–संदीप कुमार 2–मनीष कुमार 3–गुंजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 135 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डुआडीह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप कुमार निवासी ग्राम तिलोखर थाना चुटिया जनपद रोहतास बिहार।

2–मनीष कुमार निवासी ग्राम तिलोखर थाना चुटिया जनपद रोहतास बिहार।

3–गुंजन निवासी सरैया थाना दुर्गावती जनपद भभुआ बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 135 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3–01 ट्रक आदि।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हथगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हथगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–पूरन 2–वीरन 3–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना कलवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना कलवारी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/506 भादवि व 3/4पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————